न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 77/2018 तारीख रजू 03.08.2018

भरतलाल पुत्र बजरंगा जाति कुम्हार निवासी मकसूदनपुरा तह0म0डूँगर। ---- अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार मलारना डूँगर। ----- रेस्पो0

निर्णय दिनांक 10/5/2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा मिसल संख्या 1051/2011 मे पारित आदेश दिनांक 07.03.2011 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम मकसूदनपुरा के आराजी खसरा नम्बर 35 रकबा 0.50 बीघा किस्म गैर मुमकिन नदी पर संवत 2067 मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर सरसों की फसल काश्त करने कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों का सही अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित किया है जो अवैधानिक होने के कारण निरस्त योग्य है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलान्ट को साक्ष्य सबुत व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है व एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है तथा बिना सुनवाई के निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जोने योग्य है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया है कि अपीलान्ट की प्रोपर तामील नहीं हुई है अगर अपीलान्ट की प्रोपर तामील हो जाती तो अपीलान्ट अपने पक्ष में अधिनस्थ न्यायालय में साक्ष्य सबुत पेश करता। यह है कि आराजी खसरा नम्बर 35 रकबा 0.50 हेक्टयर किस्म गैर मुमकिन नदी पर अपीलान्ट का कोई

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.10 14:05:33 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा काश्त नहीं है। यह है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना यह निर्णय एक पक्षीय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है।यह भी निवेदन किया है कि पाश्चतवर्ती के सम्बन्ध अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में किये अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं होने से अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिचारी नहीं माना जा सकता । अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2011 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसपर अपीलान्ट को स्वयं को नोटिस तामील करायी गयी अपीलान्ट बावजूद सूचना अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 07.03.2011 को उपस्थित नहीं हुआ। अतः वकील अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर नही दिया गया है मान्य नही है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत पत्रावली में सलंग्न नहीं होने के कथन से मै सहमत हूँ। मेरी राय में अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2011 में बेदखली,शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्ट को दिये गये 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाता है तथा सजा माफ की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10/5/2021 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्फतर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.10 14:05:33 IST
Reason: SelfAttested